गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग- क्या, क्यों और कैसे - भारतीय परिदृश्य

के.सी. चक्रवर्ती

श्री स्टीफैन हेल्मिंग, कंट्री डायरेक्टर, जीआईज़ेड इंडिया, श्री राकेश रेवारी, डीएमडी, सिडबी, प्रोफेसर राजीव गौड़ा, अध्यक्ष, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी, आईआईएम-बैंगलोर, सुश्री करीन आयरटन, निदेशक, ग्रुप सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड बैंक, डॉ. अदिति हल्दार, निदेशक, जीआरआई, इंडिया, सुश्री ऋचा बाजपेई - सह-संस्थापक नेक्स्ट जेन, सम्मानित अतिथि गण, देवियो और सज्जनो। जर्मन डेवलपमेंट को-ऑपरेशन (जीआईज़ेड), सिडबी, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशिएटिव (जीआरआई), आईआईएम बैंगलोर और नेक्स्ट जेन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित " भारत में वित्तीय संस्थाओं के लिए गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग और जोखिम प्रबंधन" से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिलना मेरे लिये सौभाग्य की बात है। मैं अयोजनकर्ताओं को यह विषय चुनने के लिए बधाई देता हूं क्योंकि किसी कंपनी के कार्यनिष्पादन के समग्र आकलन के संबंध में गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की महत्ता और इसका जोखिम-प्रतिफल ट्रेड ऑफ तेजी से दुनिया में और भारत में भी महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। इस तरह के सम्मेलन वित्तीय सेवा से जुड़े उद्योगों के बीच गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की महत्ता और लाभों के संबंध में जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं।

सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अथवा गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग क्या है ?

2. मैंने अपने भाषण का विषय "गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग-क्या, क्यों और कैसे - भारतीय परिदृश्य " सम्मेलन के एक सत्र के विषय से चुना है। मैं सबसे पहले शुरुआत इस बात से करूंगा कि रिपोर्टिंग क्या है? बहुत ही व्यापक रूप से देखा जाए तो आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह अपने कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करने का सुव्यवस्थित तरीका है। यदि सूचना वित्तीय प्रकृति की है, जैसे वित्तीय स्थिति, लाभ, किसी उद्यम का नकदी प्रवाह, तो यह वित्तीय रिपोर्टिंग कहलाती है जो विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाती है उदाहरणार्थ हितधारकों, निवेशकों, विनियामकों इत्यादि को। इसके बाद हम गैर-वित्तीय अथवा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की ओर जाते हैं जो, जैसाकि आपको पता है, सतत और समावेशी विकास के लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक कार्य निष्पादन को मापने, अभिव्यक्त करने और आंतरिक और बाह्य हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होने का तरीका है। सामान्य रूप से ऐसी धारणा रही है कि औद्योगिक क्रांति के समय से ही आर्थिक विकास पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाकर ही हुआ है जिसके फलस्वरूप प्रकृति का बड़ी मात्रा में नुक्सान हुआ है और इसमें विकास की प्रक्रिया समावेशी नहीं रही है। आर्थिक विकास के नकारात्मक बाह्य कारकों के चलते, गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की परंपरा गैर-सरकारी संगठनों और समाज के दबावों के कारण आरंभ हुई जिसके अंतर्गत यह दावा किया गया कि कई फर्में समाज और पर्यावरण के संबंध में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति, इसके तुलन-पत्र की आस्तियों और उनके उतार-चढ़ाव की अपेक्षा इसके लाभ और घाटा खातों पर कहीं अधिक निर्भर है। गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग हितधारकों के साथ खुले और पारदर्शी तरीके से संपर्क साधने का अवसर है। फर्में अपनी गैर-वित्तीय रिपोर्टों में पिछले वर्ष के दौरान अपने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव स्वेच्छा से अभिव्यक्त करती हैं। गैर-वित्तीय रिपोर्टों में दी गई जानकारी किसी कंपनी की जोखिम-प्रतिफल प्रोफाइल तैयार करने में मदद देती है।

ऐसा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

3. गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की महत्ता का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें पीछे मुड़कर यह याद करना होगा कि कारपोरेट निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में मापदंड कैसे बदलते रहे हैं। प्रारंभिक दौर में, जब कारोबार को एक स्वामित्व अथवा भागीदारी वाली फर्म के रूप में किया जाता था, निष्पादन का प्रमुख संकेतक लाभ को ही माना जाता था। उसके पश्चात जॉइंट स्टाक कंपनियों के बनने और स्टॉक मार्केट के विकास के साथ ही कारपोरेट कार्य निष्पादन को बाजार पूंजीकरण, शेयर मूल्य और कतिपय वित्तीय अनुपातों (जैसे प्रति शेयर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल इत्यादि) के आधार पर आंका जाता था। अब इक्कीसवीं शताब्दी कारपोरेट कार्य निष्पादन को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर आंका जाएगा जिसका प्रकटीकरण गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आएगा। इस संबंध में मूल्यांकित किया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण मापदंड होगा फर्म के द्वारा समाज के लिए सृजित किया गया मूल्य और यह भी कि क्या मूल्य का ऐसा सृजन स्थायी प्रकृति का होगा। जहां तक बैंकों का संबंध है, यह बात किसी भी कारपोरेट के मामले में सच है, क्योंकि ये अत्यधिक विशिष्ट संस्थाएं हैं। और ये जनता के पैसे और विश्वास से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके ऊपर मूल्य

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा ''भारत में वित्तीय संस्थाओं के लिए गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग और जोखिम प्रबंधन'' विषय पर आयोजित किए गए राष्ट्रीय सेमिनार में मुंबई में 6 जून 2011 को दिया गया व्याख्यान।

सृजन की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं के लिए गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग काफी महत्त्वपूर्ण होगी और कालांतर में इसका महत्त्व बढ़ने वाला ही है। जैसे वित्तीय रिपोर्टिंग केवल विवरणियों से ही संबंधित नहीं है अपितु जोखिम-प्रतिफल में सामंजस्य से भी संबंधित है, उसी तरह से गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग उन जोखिमों से भी संबंधित है जो कोई संस्था समाज के लिए पैदा करती है। मैं स्थिरता और कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के बीच सूक्ष्म अंतर भी बताना चाहता हूँ। हालांकि अक्सर इन शब्दों को एक दूसरे की जगहों पर प्रयोग किया जाता है, परंतु कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के नाम पर सामान्य रूप से दान जैसे कुछ परोपकारी कार्य, शिक्षण सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना इत्यादि काम किए जाते हैं और लाभ के एक हिस्से का उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाता है। किंतु धर्मार्थ किया गया कार्य कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नहीं है; और धर्मार्थ किया गया कार्य निरंतरता नहीं है। निरंतरता का अर्थ होता है कि कारोबार को निरंतर रूप से और लाभ कमाने के लिए किया जाए और इसके चलते अनावश्यक दबाव नहीं पड़ना चाहिए।

ऐसा कहने के पश्चात, निरंतरता रिपोर्टिंग आज के परिप्रेक्ष्य में और भी अधिक समसामयिक और महत्त्वपूर्ण हो गई है, और ऐसा न केवल सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों से हुआ है, बल्कि विश्व स्तर पर हमने यह महसूस किया है कि हमारा लक्ष्य केवल वृद्धि और लाभ कमाना नहीं है बल्कि हमारा ध्येय समावेशी वृद्धि है। यदि वृद्धि की प्रक्रिया न्यायोचित नहीं है तो ,यह निरंतरता योग्य भी नहीं होगी। यदि हमारे विकास की प्रक्रिया में, समावेशी वृद्धि एक नियमित मद बनायी जानी है तो इसे निरंतरता योग्य बनाया जाना होगा। आज दुनिया में बहुत सारी समस्याएं समावेशी वृद्धि न होने के कारण पैदा हुई बतायी जाती हैं। मैं इस सम्मेलन में आए भागीदारों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे इस बात पर चर्चा करें कि निरंतरता रिपोर्टिंग में समावेशी वृद्धि का यह मुद्दा कैसे लाया जा सकता है। अंततः, रिपोर्टिंग को विश्वसनीय होना चाहिए। इसकी लेखा-परीक्षा अवश्य की जानी चाहिए। यदि हम विश्वसनीय रिपोर्टिंग प्रणाली नहीं बना पाते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। मैं फोरम से यह भी अपेक्षा करता हूं कि वह इस पक्ष पर भी चर्चा करे कि हम गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार कैसे लाएं।

सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कैसे की जानी चाहिए - रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

4. अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले वर्षों में रिपोर्टिंग की संरचना में काफी बदलाव आया है। 1990 के दशक में ज्यादातर रिपोर्टों में केवल पर्यावरणीय संकेतकों पर बल दिया जाता था, लेकिन आज रिपोर्टें ज्यादा व्यापक होती हैं और उनमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आंकड़े भी साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा अब वह ट्रिपल लाइन रिपोर्टिंग बन गई हैं। जॉन एलकिंगटन ने सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और वित्तीय लेखांकन का वर्णन करने के लिए एक शब्द बनाया है "ट्रिपल बॉटम लाइन" और उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट थिंकटैंक "सस्टेनेबिलिटी" ने गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग का बेंचमार्क तैयार करके अपना प्रथम सर्वेक्षण जारी किया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम एक नया शब्द बना सकते हैं "क्वाड्रुपल बॉटम लाइन" जिसमें समावेशी विकास की रिपोर्टिंग प्रमुख रूप से शामिल की जाएगी। किंतु रिपोर्टिंग संबंधी फ्रेमवर्क सतत रूप से बदलते रहते हैं और एक रिपोर्ट को शुरू करने से पहले किसी अंतिम निर्णय के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

5. गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को मानकीकृत करने के लिए ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल एक वैश्विक पहल है जिसे संस्थाएं अपनाती हैं और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक बन गया है। जीआरआई दीर्घावधिक, बहु हितधारकों वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसका ध्येय है विश्वस्तर पर लागू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों को विकसित करना तथा प्रचारित करना। ये दिशानिर्देश संगठनों द्वारा अपनी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु स्वेच्छा से उपयोग करने के लिए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य है रिपोर्ट करने वाले संगठनों और उनके हितधारकों को स्पष्ट रूप से समझाना कि सतत विकास में रिपोर्ट करने वाले संगठनों का क्या योगदान है।

6. निरंतरता के संबंध में रिपोर्टिंग का सबसे अधिक प्रयुक्त फ्रेमवर्क है वैश्विक रिपोर्टिंग पहलों के जी-3 दिशानिर्देश। इस फ्रेमवर्क का उपयोग सस्टेनेबिलिटी के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए विश्व भर में लगभग 7,500 रिपोर्टों में किया गया है तथा भारतीय कंपनियों द्वारा 100 से अधिक जीआरआई रिपोर्टें अब तक प्रकाशित की गई हैं। इन दिशानिर्देशों में किसी खास क्षेत्र से जुड़ी सामग्री भी शामिल होती है जो विशिष्ट रूप से वित्तीय सेवा क्षेत्र पर बल देती है।

गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रेरक और सहायक

7. जब हम गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करते हैं तब प्रेरकों और सहायकों के बीच अंतर करना शिक्षाप्रद साबित होता है। इन दोनों अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए कार के उदाहरण से समझना आसान होगा। लीवर वह यंत्र होता है जिसका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्रिया शुरू करने के लिए किया जाता है, उदाहरणार्थ गैस पैडल को दबाकर। दूसरी ओर चालक या प्रेरक सीधे तौर पर लगने वाले वे बल हैं जो इंजन को चलाते हैं। ब्रांड और साख का रणनीतिक प्रबंधन संस्थाओं के लिए गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के पीछे सबसे महत्त्वपूर्ण प्रेरक बल है। इसके अतिरिक्त गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के पीछे अन्य प्रेरक बल है

पर्यावरण और अपने सामाजिक व्यवहार के प्रति और भी अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनने के लिए कंपनियों के ऊपर पड़ने वाला हितधारकों का दबाव। इस तरह से इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है कि जनता द्वारा सबसे अधिक आलोचना झेलने वाले क्षेत्रों, विशिष्ट तौर पर रसायन और खनन, को गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोग में सबसे अधिक वृद्धि दर्शानी चाहिए। प्रतिस्पर्धियों की ओर से पड़ने वाले दबाव, गैर-सरकारी संगठनों की ओर से पड़ने वाले दबाव, वित्तीय उद्योग की ओर से पड़ने वाले दबाव का समाधान ढूँढ़ना इत्यादि गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के पीछे अन्य प्रेरक प्रतीत होते हैं।

8. गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के पीछे सरकार/विनियामकों की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण सहायक है किंतु यह अंतरराष्ट्रीय सस्टेनेबिलिटी संबंधी बहस का सबसे अधिक विवादास्पद पहलू है। ज्यादातर निजी क्षेत्र सरकार की सक्रिय भागीदारी के खिलाफ है, लेकिन गैर-सरकारी संगठनों तथा जन साधारण में कई लोग गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को मुख्य प्रथा बनाने के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग नियमों को ही एक मात्र तरीका मानते हैं।

अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक

9. दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग एक स्वैच्छिक प्रथा बनी हुई है। अब तक फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसने सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए विशिष्ट कानून बनाए हैं जिनसे यह अपेक्षित है कि वे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल करने वाली गैर-वित्तीय रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगी। विभिन्न अन्य देशों ने विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विस्तृत रिपोर्टिंग अनिवार्य की है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका स्टॉक एक्सचेंज जैसे कुछ स्टॉक एक्सचेंजों ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को अपेक्षित बना दिया है । कई हितधारकों ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को अनिवार्य अपेक्षा बनाए जाने की मांग की है जिसका उद्देश्य होगा कारपोरेट जिम्मेदारी को बढ़ावा देना तथा इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि सामान्यतया ज्यादातर कंपनियां स्वयं प्रेरित होकर रिपोर्ट नहीं देंगी या जब वे रिपोर्ट देंगी भी तो ऐसी रिपोर्टिंग अधूरी होगी और शायद ही यह हितधारकों के किसी उपयोग की होगी।

10. गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाये जाने का समर्थन करने वालों के आलोचक यह मानते हैं कि इस संबंध में सरकारी विनियमन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि:

- बाजार आधारित अन्य ऐसे प्रेरक उपलब्ध हैं जो फर्मों को रिपोर्ट करने के संबंध में पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराते हैं।
- विनियमन के तरीके अपनाने के फलस्वरूप ऐसी अनेक व्यवस्थाएं बन जाएंगी जो एक दूसरे की विरोधी होंगी जिसके चलते गैर-वित्तीय रिपोर्टों की अंतरराष्ट्रीय तुलना कठिन हो जाएगी (यदि असंभव नहीं तो) और इसके चलते विदेशों में कार्य करने वाली कंपनियों पर काफी विनियामक बोझ बढ़ जाएगा।
- इस दृष्टिकोण से गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के सतत अद्यतनीकरण और सुधार में मदद नहीं मिलेगी क्योंकि गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रथा अभी भी अपेक्षाकृत नई है और उसमें परिवर्तन लाने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया के कारण बहुत विलंब होने लगेगा।
- गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में नई -नई खोजें कम हो जाएंगी। नई खोजें तभी होंगी जब कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा अच्छी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए उच्चतर बेंचमार्क निर्धारित करेंगी। अनिवार्य फ्रेमवर्क में ऐसी पूर्णता को पाना बहुत असंभव है।

गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के लाभ

11. रिपोर्ट तैयार करने वालों और रिपोर्ट पढ़ने वालों-दोनो ही को कई लाभ होंगे। रिपोर्ट तैयार करने वालों को होने वाले लाभ हैं:

- बेहतर तुलनात्मकता का साधन उपलब्ध होगा और सस्टेनेबिलिटी की लागत कम हो जाएगी
- ब्रांड और साख में बढ़ोत्तरी होगी
- बाजार के स्थानों में अंतर होगा
- आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिस्पर्धियों के क्रियाकलापों के कारण ब्रांड में होने वाली गिरावट से बचाव होगा
- प्रक्रियाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए नई खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा।

रिपोर्ट पढ़ने वालों को लाभ

- उपयोगी बेंचमार्किंग के उपाय की उपलब्धता
- कारपोरेट गवर्नेंस के उपाय की उपलब्धता
- रिपोर्टिंग संगठन के साथ दीर्घकालिक बातचीत के अवसर की उपलब्धता।

सार

- जो कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर बल देते हैं वे लंबे समय में अपने समकक्षों से आगे निकल जाते हैं और वे बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफल होते हैं।
- बिजनेस इंटेग्रिटी और औसत से अधिक वित्तीय निष्पादन के बीच विश्वसनीय सह-संबंध होने के कारण, गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग दीर्घावधिक बिजनेस इंटेग्रिटी दर्शाती है और निवेशकों और हितधारकों का विश्वास बढ़ाती है।
- इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सूचीकरण की स्थिति प्राप्त करने और अन्यथा निषिद्ध बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है।
- इससे ऋण प्रदाताओं के साथ पारदर्शी संबंध बनाकर उनसे ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है, प्रबंधन प्रणाली एवं कर्मचारी प्रोत्साहन और ग्राहक की संतुष्टि के स्तर में सुधार होता है।

बैंक और वित्तीय संस्थाएं तथा गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग

12. बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के सीधे तौर पर पड़ने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव अपेक्षाकृत कम होते हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर प्रभाव वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहने वाले अन्य कारोबारों नामत: - उधार अथवा निवेश पोर्टफोलियो में कारोबार, के होते हैं। किंतु इस बात को सुनिश्चित करने में उनकी प्रमुख भूमिका है कि जो कारोबार उनसे उधार लेकर चल रहा है और उनके ऊपर निर्भर है वह समाज के लिए कितना जोखिम पैदा कर सकता है तथा उसे एक स्थायी एजेंडे पर कार्य करना चाहिए। इस तरह से बैंकों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के अप्रत्यक्ष प्रकृति का होने के बावजूद बैंकों को चाहिए कि वे अपनी उधारियों और निवेश संबंधी निर्णयों की समीक्षा करें। सभी कारोबारी गतिविधियों का कुछ पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव प्रभाव पड़ता है जो विशेष तौर पर अवमानक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रथाओं के चलते होता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन तथा बर्बादी
- सतत प्रदूषणकारी गतिविधियों के चलते पर्यावरण को हुई क्षति
- अतीत की प्रदूषणकारी गतिविधियों के चलते सतत नुकसान
- दुर्घटनाओं के चलते हुआ नुकसान
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील पदार्थों का प्रयोग

13. इन सभी प्रभावों का कारोबार पर असर पड़ता है। ऐसे प्रभाव जो जोखिमों को पैदा करते हैं वे कानूनी, वित्तीय, साख संबंधी हो सकते हैं और बैंको के पोर्टफोलियो के द्वारा पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए बैंक स्वयं अधिकाधिक जिम्मेदार होते हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखे बिना परिचालित कारोबार के द्वारा जो नुकसान उठाने पड़ सकते हैं वे निम्नलिखित हैं:

- प्रदूषण दूर करने संबंधी लागत
- दंड स्वरूप दी गई राशि
- कचरे के प्रबंधन संबंधी बढ़ी हुई लागत
- क्षतिग्रस्त आस्तियों की घटी हुई कीमत के कारण हुई हानि
- कानूनी दावे
- विनियमन संबंधी विलंब
- जनता का घटा हुआ सम्मान और घटी हुई बिक्री।

14. ऐसे जोखिम जो अक्सर वित्तीय संस्थाओं हिस्से में आ जाते हैं वे निम्नानुसार हैं:

- ऋण की अदायगी न किए जाने के मामलों में वृद्धि
- निवेश की हुई कीमत में कमी और अस्ति कीमतों में कमी आने के चलते संपार्श्विक प्रतिभूतियों का घाटा
- असावधानीपूर्वक बनाई गई निवेश सलाहों के कारण होने वाले नुकसान संबंधी देनदारी
- प्रदूषण पैदा करने वाले कारोबार के साथ जुड़े हुए होने के कारण साख का नुकसान।

भारत में स्थिति

15. भारत में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की स्थिति अभी अपनी शैशवावस्था में है और यह अभी भी विकसित हो रही है। भारत में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टों के संबंध में वार्ता, चर्चा और उनके प्रकाशन में हुई वृद्धि के पीछे कई प्रेरक हैं - ये ऐसे प्रेरक हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों से कुछ अलग हैं। उदाहरणार्थ, भारत में अन्य देशों की तुलना में गैर सरकारी संगठनों की ओर से पड़ने वाला दबाव कम है। वैश्विक कारोबारी माहौल में भागीदारी बढ़ने से दबाव पैदा होता है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पत्राचार जारी करने वाली कई कंपनियां अब सामाजिक आयामों के बारे में भी रिपोर्ट कर रही हैं। तथापि एक बात तो स्पष्ट है कि हम वृद्धि को तिलांजलि नहीं दे सकते हैं। यदि

हमारे समाज को अपना अस्तित्व बचाना है तो इसे आगामी कुछ वर्षों के लिए द्वि-अंकीय वृद्धि दर बरकरार रखनी होगी। यदि हम वृद्धि को ताक पर रख कर पर्यावरण और समाज के बारे में सोचेंगे और समस्याओं का हल ढूढ़गे तो यह स्वीकार्य नहीं होगा। संतुलन में परिवर्तन इस बात से आएगा कि हम अपनी समग्र वृद्धि के एजेंडे पर अटल रहते हुए इन समस्याओं को एकीकृत कैसे कर पाते हैं। इससे हमारे संदर्भ में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और भी अधिक स्वीकार्य हो जाएगी। भारत के संदर्भ में यह शुरुआत येस बैंक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम - वित्तीय पहल का सदस्य बनने के साथ हो चुकी है जो वित्तीय क्षेत्र के परिचालनों और सेवाओं के सभी पहलुओं के पर्यावरण संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है। सिडबी ने वैश्विक रिपोर्टिंग पहल दिशानिर्देशों के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की है, लेकिन कुछ भारतीय बैंकों ने अपने गैर-वित्तीय मानदंडों के संबंध में रिपोर्टिंग करने पर विचार करना आरंभ कर दिया है। सतत विकास, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की दिशा में अन्य अंतरराष्ट्रीय पहलों में भी हमारे बैंको, वित्तीय संस्थानों इत्यादि की भागीदारी काफी शुरुआती स्तर पर है।

16. भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के संस्थानों के लिए समाज और पर्यावरण क्षेत्र की गतिविधियों में भागीदारी संबंधी सबसे प्राथमिक प्रेरक है उनकी साख और ब्रांड। इस बात के पीछे यह कारण भी है कि ये संस्थान उद्योग और कारोबार के हर क्षेत्र से बहुत ज्यादा जुड़े है। इसके अतिरिक्त, भारत जैसे उभरते हुए बाजारों में साफ सुथरे उत्पादन, अच्छे कारपोरेट अभिशासन और सस्टेनेबल ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान देने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण वित्तीय संस्थाओं के लिए बड़ा कारोबारी अवसर माना जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त, कई वित्तीय संस्थाएं अपनी परोपकारी गतिविधियों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व के बैनर तले प्रचारित कर रही हैं। ये सभी पहलें इस बात को दर्शाती हैं कि यह क्षेत्र उन वित्तीय संस्थाओं की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो अपने ब्रांड और साख पर भरोसा करते हैं, ताकि वे अपने आप को अपने सामाजिक परिवेश में उनके निवेशों के सामाजिक और पर्यावरण संबंधी पहलुओं को परिलक्षित करने वाली अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों से स्वयं को अलग दिखा सकें ।

17. मानसिकता में आए इस बदलाव के कई कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कारोबार का बढ़ता वैश्वीकरण। ज्यादातर भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे-जैसे बढ़ रही हैं और उनके हित विदेशों में बढ़ रहे हैं, और साथ ही भारतीय कारपोरेटों में विदेशी निवेशों में तेजी से वृद्धि हो रही है, विश्व भर से भारतीय कंपनियों पर इस बात का दबाव पड़ा है कि वे सस्टेनेबिलिटी संबंधी मुद्दों की रिपोर्टिंग में अधिकाधिक पारदर्शिता बरतें। भारत में पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित मुद्दों के बारे में हितधारकों की मानसिकता और रुख में परिवर्तन आया है। हाल ही में सरकार को विदेशी जलपोतों को भारत में लाकर तोड़ने के संबंध में भारत की जनता का विरोध और दबाव झेलना पड़ा क्योंकि उन जलपोतों में बड़ी मात्रा में ऐस्बेस्टस और अन्य हानिकारक पदार्थ मौजूद थे। सस्टेनेबिलिटी से जुड़े मुद्दों पर जनता की राय अभी भी बन रही है लेकिन इस दिशा से सर्वप्रथम कदम उठाने वाली कंपनियों की संबंधित गतिविधियों की जनता गहनता से छानबीन करेगी जिससे परिचालनों से संबंधित पारदर्शी रिपोर्टिंग की आवश्यकता पुन: उजागर हो जाती है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रेरक कारक रहा है हितधारक के रूप में सरकार की भूमिका। भारत में शुरू से ही श्रम, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कड़े कानून रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार इन कानूनों के प्रवर्तन में काफी सक्रिय रही है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में मीडिया के लगातार ध्यान एवं निगरानी के चलते कंपनियां अपने हितधारकों के साथ अपनी गतिविधियों और कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं।

रिपोर्टिंग मानक

18. वर्तमान में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के संबंध में (लेखांकन अथवा विनियामक संस्थाओं से) मान्यताप्राप्त कोई भी दिशानिर्देश अथवा रिपोर्टिंग मानक नहीं हैं, लेकिन कंपनियों के बीच समुदाय,कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे विषयों के संबंध में कई सूचनाएं प्रकाशित करने का प्रचलन बढ़ा है। इसलिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपने विषय और प्रारूप की दृष्टि से भारतीय कंपनियों में विविधता है। पारंपरिक रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई संगठन कुछ कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कार्यक्रम करते हैं किंतु रिपोर्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया नहीं रही है। "पार्टनर्स इन चेंज" नामक संस्था द्वारा 2003 में किए गए एक सर्वेक्षण में दर्शाया गया कि 70 प्रतिशत भागीदार कंपनियों के पास कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी नहीं है किंतु फिर भी वे अच्छा कार्य कर रही हैं। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में जागरूकता और गतिविधियां बढ़ी हैं और कई कंपनियों ने स्सटेनेबिलिटी संबंधी मुद्दों के बारे में रिपोर्टिंग आरंभ कर दी है, यद्यपि यह सीमित और विभिन्न प्रारूपों में है।

19. भारत में कई संगठनों के पास आईएसओ 14001 पर आधारित प्रमाणित पर्यावरण संबंधी प्रबंधन प्रणालियां हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरण संकेतकों संबंधी आंकड़े अधिक आसानी से उपलब्ध हैं और कई कंपनियों ने पर्यावरण संबंधी रिपोर्टों को जारी करके रिपोर्ट करना आरंभ कर दिया है जिनमें स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं। इस प्राथमिक चरण के बाद ही सामान्यतया कंपनियों ने ऐसे रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करने आरंभ कर दिए हैं जो जीआरआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं। कुछ भारतीय कंपनियों ने वैश्विक चलन के अनुरूप अपनी

सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टों के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन प्राप्त करना आरंभ कर दिया है।

पर्यावरण कानून के अंतर्गत रिपोर्टिंग

20. भारत के प्राचीन दर्शन की एक मूलभूत विशेषता रही है पर्यावरण के प्रति सम्मान। भारत का संविधान दुनिया भर के उन गिने-चुने संविधानों में से है जिसमें पर्यावरण संबंधी विशिष्ट प्रावधान हैं। सरकार के नीतिगत सिद्धांतों में पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संवर्धन के संबंध में प्रतिबद्धता दर्शायी गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का ढांचा तैयार करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण और वन मंत्रालय का है। क्रमश: केंद्र और राज्य स्तर पर इसका कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। केंद्र स्तर पर पर्यावरण विभाग राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता देता है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 जिसे अंब्रेला अधिनियम के रूप में जाना जाता है, उसे पर्यावरण की सुरक्षा और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम "अधिकारप्रदाता " कानून भी है जो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कानूनी नीति को स्पष्ट करता है और इसके द्वारा समर्थ प्राधिकारियों को व्यापाक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि वे आवश्यक नियम और विनियम बना सकें।

- इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक संगठन द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को (विहित प्रारूप में) एक वार्षिक "पर्यावरण लेखा-परीक्षा रिपोर्ट" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

- पर्यावरणीय विवरण में रिपोर्टिंग संबंधी कई मापदंड शामिल हैं जैसे पानी और कच्चे माल की खपत, फैलाया गया प्रदूषण (विहित मानकों से भिन्नता सहित), खतरनाक और ठोस कचरे की मात्रा और विशिष्टताएं, प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उत्पादन लागत पर असर, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव। इस चरण में, विवरण की लेखा-परीक्षा अपेक्षित नहीं है। इसकी तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित कानूनी अपेक्षा से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिली है कि कानून के अंतर्गत आने वाले सभी व्यवसायों द्वारा पर्यावरण उपायों से संबंधित आंकड़े क्रमवार, श्रेणीबद्ध किए और विश्लेषित किए जा सकें। भारत में कई संगठनों ने इन विवरणों को आंतरिक रूप से लेखापरीक्षित करना आरंभ कर दिया है ताकि एक अच्छी परंपरा के रूप में उनका पर्यावरणीय निष्पादन बेहतर किया जा सके।

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग

21. भारत में कंपनी अधिनियम भारत में कंपनियों के समग्र विनियमन का संचालन करता है और इसमें कंपनियों के परिचालन से संबंधित विभिन्न आयामों के प्रकटन और रिपोर्टिंग से संबंधित धाराएं शामिल हैं। अधिनियम की धारा 217 में यह विहित है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट (कंपनी की वार्षिक बैठक में पेश किए जाने वाले प्रत्येक तुलन-पत्र के साथ संलग्न) में ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- ऊर्जा के संरक्षण के लिए किए गए उपाय;

- ऊर्जा के उपभोग में कमी लाने के लिए लागू किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हों;

- ऊर्जा के उपभोग में कमी लाने के लिए लागू किए उपर्युक्त उपायों का प्रभाव और माल की उत्पादन लागत पर परिणामी प्रभाव; और

- कुल ऊर्जा उपभोग और विनिर्दिष्ट उद्योगों के संदर्भ में उत्पादन में लगने वाली प्रति यूनिट ऊर्जा।

सामाजिक मामलों के संबंध में रिपोर्टिंग

22. पारंपरिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक उद्यमशीलता और परोपकार के बीच अंतर करने वाली बहुत ही बारीक रेखा है। आजकल के व्यवसायों में इस संबंध में काफी जागरूकता है कि सामाजिक जिम्मेदारी मात्र धर्मार्थ किए गए कार्यों तक सीमित नहीं है और इसके लिए अच्छी बातों को आत्मसात करने और व्यापक अभिव्यक्ति की अपेक्षा भी की जाती है। 1980 में टाटा स्टील ने " सामाजिक लेखा-परीक्षा समिति की रिपोर्ट" जारी की जिसमें इस बात को जानने की कोशिश की गई थी कि कंपनी ने उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, स्थानीय समुदाय और समाज के प्रति सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों संबंधी संगठन की धाराओं में निहित उद्देश्यों को पूरा किया है या नहीं। तब से भारतीय कंपनियों की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में वृद्धि और सतत सुधार हुए हैं। चर्चाओं से पता चलता है कि भारत में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अक्सर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्थानीय एनजीओ/ सामाजिक समितियों की ओर से पड़ने वाले सीमित दबावों के बीच, स्वैच्छिक कदम के रूप में आरंभ होती है। इन रिपोर्टों को अक्सर आंतरिक प्रयोजनों के लिए तैयार किया जाता है तथा उनका उपयोग किया जाता है।

23. रिपोर्टिंग के भारतीय परिप्रेक्ष्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए और अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क के मानकों को अपने देश में लागू करवाने के

तरीको के संबंध में वैश्विक रिपोर्टिंग पहल भारतीय उद्योगों के संगठन के साथ कार्य कर रही है।

भारत में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के संबंध में प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

- सस्टेनेबिलिटी/कार्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्टिंग संबंधी विशिष्ट कानून और दिशानिर्देशों की कमी;
- कंपनियों के समक्ष यह रिपोर्ट करना चुनौती है कि वे स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी के चलते अपना कारोबार कैसे चलाती हैं;
- प्रारंभिक प्रयोगों के बाद प्रयासों को केंद्रित किया जाना चाहिए और रिपोर्टिंग को मानकीकृत किया जाना चाहिए। विशिष्ट रूप से, कंपनियां अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आंतरिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता, जोखिम और सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों जैसे मुद्दों की विस्तृत जानकारी देने के बजाय, कुछ पृष्ठों में अपनी सामुदायिक पहलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं; और
- सामाजिक और कारोबारी हितों में सामन्जस्य स्थापित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कारपोरेट समाजसेवा को गहन कारोबारी और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का रूप ले लेना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पहलें

24. निरंतर विकास के लिए बैंकों सहित वित्तीय संथाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए और आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण में उनकी महत्तवपूर्ण भूमिका को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2007 के अपने परिपत्र में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सतत विकास और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंकों की भूमिका की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया था। चूंकि बैंकों में ऋण प्रबंधन उनके परिचालन डोमेन में आता है इसलिए बैंको को इस संबंध में होने वाली किसी भी गतिविधि के बारे में पूरी जानकारी रखने के लिए कहा गया था और होने वाली गतिविधियों के आलोक में अपनी कारोबारी रणनीतियों में सामंजस्य लाने /संशोधन करते रहने की अपेक्षा की गई थी। इसके अलावा उनके दैनिक परिचालनों को स्वच्छ, हरित और सक्षम बनाने के उनके आंतरिक प्रयास भी सहायक हो सकते हैं। तथापि जैसा कि पहले कहा गया है, स्थिति अभी भी विकास के प्राथमिक चरण में है और इस दिशा में काफी कार्य किया जाना अपेक्षित है।

25. रिज़र्व बैंक की सबसे प्रमुख पहल और जिसके संदर्भ में हम किसी अन्य विनियामक से अलग हैं, वह है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और वित्तीय समावेशन का क्षेत्र। सस्टेनेबिलिटी हमारे समावेशी वृद्धि एजेंडे का अभिन्न हिस्सा रही है। हमने बैंकों को यह बताया है कि उन्हें वित्तीय समावेशन का लक्ष्य अवश्य रखना चाहिए। सभी बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन की योजना तैयार करें। जैसा कि हम बैंक के नेतृत्व में चलाए जा रहे समावेशी विकास के एजेंडे का अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए। ऐसा करने से सस्टेनेबिलिटी की पकड़ और पहुंच और भी अधिक बढ़ेगी। अब, चाहे हम गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाएं या इसे प्रकटन का हिस्सा बनाएं -यह हमारा ध्यान खींचती रही है। किंतु बैंकों को इस बात के दिशानिर्देश दे दिए गए हैं कि निरंतर विकास का मुद्दा बैंकों के लिए महत्त्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है।

सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग-बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए भावी परिदृश्य

26. भारत में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की प्रगति धीमी है किंतु महत्त्वपूर्ण और मजबूत शुरुआत हो चुकी है। भारत का सनदी लेखाकार संस्थान -लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान समिति कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में नए नियम बनाने का कार्य कर रही है और भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय कंपनियों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रणाली विकसित कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी को अपनाने का दबाव, भारत में सस्टेनेबल विकास निधि और सूचकांक (जैसे सीआरआईएसआईएल, एसऐंडपी ईएसजी सूचकांकों) की शुरुआत के कारण भी अधिक बढ़ा है।

समाज की भूमिका

27. गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को स्वीकार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समाज की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है। समाज के रूप में किसी वित्तीय संस्था के कार्य-निष्पादन का आकलन करते समय हमें सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में उनके योगदान को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के रूप में, जब बेस्ट बैंक के पुरस्कार दिए जाते हैं उस समय केवल सीआरएआर, आरओए, आरओई, एनपीए इत्यादि जैसे वित्तीय मानदंडों पर ही विचार किया जाता है। किंतु क्या बैंकों को ''उत्तरदायित्वपूर्ण नैतिक उधार देने'' के आधार पर परखा जाता है? वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे करते हैं? वे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कैसा काम कर रहे हैं? कितने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं? सेवाएं प्रदान करने की लागत क्या है? छोटे ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? क्या छोटे ग्राहकों से लिए जाने वाले प्रभार बहुत अधिक हैं? क्या कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा को कम करने के लिए कोई नीति बनाई है? जब इन पक्षों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और यदि समाज बैंकों को प्रोत्साहित करते समय इनको ध्यान में नहीं रखता है तो आप कैसे यह

आशा कर सकते हैं कि ये बातें कारपोरेट कार्य निष्पादन में परिलक्षित होंगी? यदि ऐसी बातों को ध्यान में रखा गया होता तो, बेस्ट बैंक का पुरस्कार पाने वाले बैंक संभवतः आज पुरस्कार पानेवालों से कहीं अलग होते।

28. बैंक और वित्तीय संस्थाएं सस्टेनेबिलिटी प्रबंधन और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का विकास करके लाभान्वित होंगी जिसमें अन्य बातों के अलावा, महत्त्वपूर्ण मुद्दों और जोखिमों की पहचान करना, हितधारकों के हितों और साथ ही साथ पर्यावरण को देखना, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएचएसएस) लेखा-परीक्षा, कंपनी के परिचालनों के कार्बन फुटप्रिंटों की मैपिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टों को तैयार करना शामिल है।

निष्कर्ष

29. अंत में इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं नेक्स्टजेन और वैश्विक रिपोर्टिंग पहल को पुन: बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इससे जागरूकता पैदा करने और वित्तीय संस्थाओं को गैर- वित्तीय रिपोर्टिंग के मुद्दे से अवगत कराने हेतु मंच मिलता है। यह ऐसी अवधारणा है जिसका समय आ चुका है, इसे एक अभियान का रूप लेना है। रिज़र्व बैंक हमेशा से बैंकों को वित्तीय पक्ष के अतिरिक्त, अधिकाधिक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रकटन के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। किंतु इस दिशा में अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है यद्यपि समावेशी एजेंडे के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है किंतु यह अभी भी गैर-वित्तीय प्रकटन का हिस्सा नहीं बन पाया है। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए बैंकों को कार्य-निष्पादन, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के आकलन के लिए, समावेशी वृद्धि की अवधारणाओं और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनी कारोबारी रणनीति के साथ एकीकृत करना चाहिए। जैसे ही समाज वित्तीय संस्थाओं के कार्य-निष्पादन को आर्थिक कार्य-निष्पादन के अलावा उनके सामाजिक, पर्यावरणीय निष्पादन और समावेशी वृद्धि के एजेंडे के आधार पर आँकने और सराहने लगेगा वित्तीय संस्थाएं गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को स्वयं स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। मैं इस चर्चा के सफल होने की कामना करता हूं। मैं यह आशा करता हूँ कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उनमें से कुछ पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी और यदि कोई ऐसे कार्रवाई बिंदु सामने आते हैं जिनका समाधान, हम अपने सतत और समावेशी वृद्धि एजेंडे को आगे ले जाने में कर सकते हैं, तो कृपया हमें उनसे अवगत कराएं।